

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर,  
जिला बलरामपुर रा0गंज (छ0ग0)

क्रमांक- ११० / वा / अ.वि.अ. / 2019  
प्रति,

राजपुर दिनांक- ०३ / 10 / 2019

उप नियंत्रक  
शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव  
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय:- अधिसूचना प्रकाशन कराये जाने बावत्।

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 01/अ-82/2017-18 गागर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर ग्राम अमड़ीपारा में कुल खसरा नं.- 149 कुल रकबा- 7.717 हे. भूमि के भू-अर्जन पुर्नवास पुर्नवासन तथा पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा- 19 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन हेतु अधिसूचना की 3 प्रतियां संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
राजपुर

क्रमांक- १११ / वा / अ.वि.अ. / 2019  
प्रतिलिपि:-

राजपुर दिनांक- ०३ / 10 / 2019

1. संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को अधिसूचना की 05 प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृप्या दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दैनिक समाचार पत्र की कतरन, समाचार पत्र का नाम एवं दिनांक सहित इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर एवं पदेन भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (जल संसाधन विभाग) उप संभाग राजपुर को सूचनार्थ। आप प्रकाशन की सम्पूर्ण कार्यवाही समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराकर अविलम्ब पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला बलरामपुर- रामानुजगंज को अधिसूचना की 1 प्रति वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित।
5. तहसीलदार राजपुर को अधिसूचना की 1 प्रति अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु पालनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर को अधिसूचना की 1 प्रति अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पालनार्थ।
7. सचिव ग्राम पंचायत अमड़ीपारा को अधिसूचना की 1 प्रति अपने कार्यालय/ग्राम पंचायत भवन अमड़ीपारा के सूचना पटल पर चस्पा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
राजपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर- रामानुजगंज एवं उप सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा  
प्रबंधन विभाग

--:घोषणा:-

क्रमांक-6534-4/भू-अर्जन/कले0/2019

बलरामपुर दिनांक- 30/09/2019

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि गागर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर ग्राम अमड़ीपारा हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
1. जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज
2. तहसील- राजपुर
3. ग्राम- अमड़ीपारा
4. भूमि का क्षेत्रफल- 7.717 हे.

क्रमांक	खसरा नं	रकबा	क्रमांक	खसरा नं	रकबा
1	2	3	1	2	3
1	232/2	0.024	76	360/1	0.041
2	232/1	0.020	77	440/1	0.105
3	244/2	0.041	78	627/2	0.156
4	244/3	0.016	79	396	0.008
5	301	0.024	80	175/1	0.004
6	297	0.040	81	317/1	0.040
7	298	0.012	82	317/3	0.020
8	299	0.028	83	317/2	0.020
9	224	0.041	84	202/3	0.052
10	677	0.140	85	659	0.128
11	259/2	0.036	86	658	0.008
12	259/1	0.032	87	682	0.214
13	231/1	0.041	88	683	0.144
14	261	0.065	89	106	0.024
15	262	0.020	90	320	0.064
16	264	0.008	91	672	0.081
17	324/5	0.064	92	629	0.069
18	628/5	0.069	93	707	0.081
19	220	0.069	94	708	0.020
20	183/1	0.073	95	709	0.028
21	570/1	0.024	96	710	0.008

22	667/1	0.040	97	153/2	0.064
23	155/2	0.032	98	249/2	0.044
24	159	0.056	99	307/3	0.040
25	570/3	0.024	100	278/2	0.076
26	648	0.028	101	289	0.020
27	173/4	0.048	102	250	0.096
28	307/1	0.032	103	278/1	0.008
29	204/1	0.076	104	296	0.040
30	655	0.064	105	201	0.008
31	160	0.041	106	649	0.008
32	214	0.121	107	657	0.040
33	630	0.128	108	671	0.072
34	645/1	0.052	109	637/15	0.137
35	685	0.061	110	668	0.020
36	110	0.092	111	379/1	0.064
37	311	0.077	112	569	0.069
38	312	0.024	113	223	0.020
39	314	0.004	114	716	0.032
40	249/1	0.109	115	363/1	0.041
41	285/1	0.012	116	258/1	0.076
42	144	0.077	117	302	0.040
43	199	0.077	118	155/3	0.020
44	638	0.121	119	667/2	0.008
45	661	0.048	120	570/2	0.012
46	661/1346	0.041	121	155/1	0.020
47	153/1	0.064	122	570/4	0.024
48	173/1	0.144	123	643	0.077
49	307/2	0.032	124	673	0.056
50	642	0.045	125	676/3	0.121
51	641	0.072	126	694/1	0.121
52	251/1	0.045	127	674	0.008
53	438/1	0.028	128	713	0.136
54	251/2	0.048	129	715	0.176
55	438/2	0.032	130	441/2	0.048
56	109	0.057	131	308	0.012
57	280	0.064	132	582/2	0.040
58	281	0.008	133	582/3	0.044
59	282	0.012	134	582/4	0.048
60	284	0.081	135	582/5	0.041
61	202/1	0.048	136	582/6	0.032
62	589	0.093	137	582/7	0.041

63	676/1	0.016	138	582/8	0.041
64	182/2	0.057	139	582/9	0.032
65	200	0.061	140	582/10	0.028
66	237	0.144	141	582/11	0.032
67	108	0.057	142	582/12	0.032
68	145/1	0.076	143	597	0.041
69	202/2	0.052	144	598	0.020
70	676/2	0.020	145	324/2	0.041
71	439	0.044	146	324/1	0.041
72	575	0.016	147	628/5	0.008
73	198	0.016	148	153/4	0.012
74	364/1	0.081	149	173/7	0.008
75	670	0.081	योग-		7.717

2. भूमि के नक्शा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।



(आर.एस.लाल)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर



(संजीव कुमार झा)  
कलेक्टर

जिला न्यायलय, रामपुर, रामपुर (छ.ग.)  
एवं पदेन उप सचिव, अखीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग